

24.03.2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ।
बार-बार पुकार के बावजूद अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं है, न ही स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।
तदनुसार प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(विकास कुमार-1)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D. No. UP 1910